

मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952

(1952 का अधिनियम संख्यांक 58)

[12 अगस्त, 1952]

मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम**—यह अधिनियम मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 कहा जा सकेगा।

2. **परिभाषा**—इस अधिनियम में, “मंत्री” से मंत्रि-परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, और इसके अन्तर्गत उपमंत्री आता है।

¹[3. **संबलम तथा दैनिक और निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ता**—(1) प्रत्येक मंत्री, ऐसे मंत्री के रूप में अपनी संपूर्ण पदावधि के दौरान, प्रतिमास संबलम् और प्रत्येक दिन के लिए भत्ता उन्हीं दरों पर प्राप्त करने का हकदार होगा जो संसद् सदस्यों की बाबत संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 3 में विनिर्दिष्ट है।

(2) प्रत्येक मंत्री निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता उसी दर पर प्राप्त करने का हकदार होगा जो संसद् सदस्यों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन विनिर्दिष्ट है।]

4. **मंत्रियों के निवास-स्थान**—²[(1)] हर एक मंत्री भाटक के संदाय के बिना अपने पद की अवधि भर तथा उसके अव्यवहित पश्चात् ³[एक मास] की कालावधि पर्यन्त एक सुसज्जित निवास-स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा, और ऐसे निवास-स्थान के अनुरक्षण के बारे में कोई प्रभार मंत्री पर वैयक्तिक तौर पर नहीं पड़ेगा।

⁴[(2) मंत्री की मृत्यु हो जाने पर उसका कुटुम्ब इस बात का हकदार होगा कि उस सुसज्जित निवास-स्थान का, जो मंत्री के अधिभोग में था,—

(क) उसकी मृत्यु के अव्यवहित पश्चात् की एक मास की कालावधि तक उपयोग, भाटक दिए बिना करे और मंत्री के कुटुम्ब पर ऐसे निवास-स्थान के अनुरक्षण की बाबत कोई प्रभार नहीं पड़ेगा, तथा

(ख) एक मास की अतिरिक्त कालावधि के लिए उपयोग, ऐसी दरों पर भाटक देकर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं और ऐसी अतिरिक्त कालावधि के दौरान उस निवास-स्थान में उपयुक्त बिजली और पानी की बाबत प्रभार देकर करें।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “निवास-स्थान” के अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द के क्वार्टर और उससे अनुलग्न अन्य निर्माण और उसका उद्यान आते हैं और निवास-स्थान के सम्बन्ध में “अनुरक्षण” के अन्तर्गत स्थानीय रेटों और करों का संदाय और बिजली और पानी का उपबन्ध आते हैं।

⁵[5. **मंत्रियों को संपचुअरी भत्ता**—(1) प्रत्येक मंत्री को निम्नलिखित दरों पर संपचुअरी भत्ता संदत्त किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) प्रधानमंत्री	तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास;
(ख) प्रत्येक अन्य मंत्री जो मंत्रिमंडल का सदस्य है	दो हजार रुपए प्रतिमास;
(ग) राज्य मंत्री	एक सौ रुपए प्रतिमास;
(घ) उपमंत्री	छह सौ रुपए प्रतिमास।]

6. **मंत्रियों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते**—(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए मंत्री—

(क) अपने तथा अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए और अपने तथा अपने कुटुम्ब की चीजवस्तु के परिवहन के लिए यात्रा भत्ते—

¹ 1985 के अधिनियम सं० 76 की धारा 2 द्वारा (26-12-1985से) धारा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1969 के अधिनियम सं० 47 की धारा 2 द्वारा (1-11-1966 से) धारा 4 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

³ 1969 के अधिनियम सं० 47 की धारा 2 द्वारा (1-11-1966 से) “पंद्रह दिन” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1969 के अधिनियम सं० 47 की धारा 2 द्वारा (1-11-1966 से) अन्तःस्थापित।

⁵ 2001 के अधिनियम सं० 44 की धारा 2 द्वारा (17-9-2001 से) धारा 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(i) पद-ग्रहण करने के लिए दिल्ली से बाहर के अपने प्रायिक निवास-स्थान से दिल्ली तक की यात्रा के बारे में, और

(ii) पद-मुक्त होने पर दिल्ली से बाहर के अपने प्रायिक निवास-स्थान तक की यात्रा के बारे में; तथा

(ख) अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में के अपने द्वारा किए गए दौरों के बारे में, वे चाहे समुद्र, भूमि या वायु मार्ग द्वारा हों, यात्रा और दैनिक भत्ते, पाने का हकदार होगा।

¹[(1क) कोई मंत्री, भारत के भीतर, प्रत्येक वर्ष के दौरान या तो अकेले या पति अथवा पत्नी या उसके साथ रह रहे और उस पर पूर्णतः आश्रित धर्मज या सौतेली सन्तानों या किसी भी संख्या में साथियों या नातेदारों के साथ उसके द्वारा की गई एकल यात्रा के लिए यात्री किराए के बराबर रकम का, उन्हीं दरों पर जिन पर उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट दौरों के संबंध में, उस खंड के अधीन ऐसे मंत्री को यात्रा भत्ता संदेय है, प्रति वर्ष अधिकतम ऐसे अड़तालीस यात्री किराए के अधीन रहते हुए, हकदार होगा :

परंतु, यथास्थिति, पति अथवा पत्नी या मंत्री के साथ रह रहे और उस पर पूर्णतः आश्रित धर्मज या सौतेली संतान अकेले ऐसी यात्रा कर सकेंगी।]

(2) इस धारा के अधीन कोई भी यात्रा भत्ता नकद संदत्त किया जा सकेगा या उसके बदले में निःशुल्क शासकीय परिवहन का उपबन्ध किया जा सकेगा।

7. मंत्रियों का चिकित्सीय उपचार आदि—केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए मंत्री और उसके कुटुम्ब के सदस्य सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों में बिना चार्ज वास-सुविधा और चिकित्सीय उपचार के भी हकदार होंगे।

8. मोटर-कारें खरीदने के लिए मंत्रियों को अधिदाय—किसी भी मंत्री को मोटर-कार खरीदने के लिए प्रतिसंदेय अधिदाय के तौर पर ऐसी धनराशि, जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी, जिससे वह अपने पद के कर्तव्यों का सुविधानुसार तथा दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सके।

9. मंत्री, संसद् सदस्यों के रूप में, सम्बलम् या भत्ते नहीं लेंगे—इस अधिनियम के अधीन सम्बलम् या भत्ता प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति संसद् द्वारा उपबन्धित निधियों में से संसद् के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की अपनी सदस्यता के बारे में कोई धनराशि, सम्बलम् या भत्ते के तौर पर प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगा।

10. मंत्रियों की नियुक्ति आदि के बारे में अधिसूचना उसकी निश्चायक साक्ष्य होगी—वह तारीख, जिसको कोई व्यक्ति मंत्री बना हो, या जिस तारीख को उसका मंत्री रहना समाप्त हो गया हो, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और ऐसी कोई भी अधिसूचना इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए, इस तथ्य की निश्चायक साक्ष्य होगी कि उस तारीख को वह मंत्री बना था, या उसका मंत्री रहना समाप्त हो गया था।

²[**10क. किसी मंत्री द्वारा प्राप्त कुछ परिलब्धियों पर आय-कर के संदाय के दायित्व से छूट**—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी मंत्री को दिए गए भाटक के संदाय के बिना सुसज्जित निवास-स्थान का मूल्य (जिसके अंतर्गत उसका खरखाव है) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 15 के अधीन “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य उसकी आय को संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।]

³[**11. नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम⁴ बना सकेगी।

(2) मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और ऐसा कोई नियम तब तक प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि संसद् का प्रत्येक सदन उसका अनुमोदन, चाहे उपान्तरों के साथ या उनके बिना, नहीं कर देता है और केन्द्रीय सरकार उसे राजपत्र में प्रकाशित नहीं कर देती है।]

12. कतिपय संदायों का नियमितीकरण—1952 के मई के चौदहवें दिन को प्रारम्भ होने वाली और इस अधिनियम के प्रारम्भ के साथ समाप्त होने वाली कालावधि के लिए, ऐसे मंत्रियों को, जो मंत्रिमंडल पंक्ति के मंत्रियों के रूप में वर्णित थे (किन्तु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे) संदत्त या संदेय सब सम्बलम्, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी अस्पताल में किसी मंत्री या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के लिए उपबन्धित वास-सुविधा के बारे में या चिकित्सीय उपचार पर इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व उपगत सब प्रभार और किसी भी उपमंत्री को यात्रा या दैनिक भत्ते के तौर पर ऐसे प्रारम्भ से पूर्व किए गए सब संदायों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उचित रूप से संदत्त किए गए, संदेय या उपगत किए गए या दिए गए हैं।

13. [1947 के अधिनियम सं० 53 का निरसन]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1957 (1957 का 36) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित।

¹ 2010 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

² 1985 के अधिनियम सं० 76 की धारा 5 द्वारा (26-12-1985 से) अन्तःस्थापित।

³ 1977 के अधिनियम सं० 37 की धारा 2 द्वारा धारा 11 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ इस तरह के नियमों के लिए देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, 1952, भाग 2, अनुभाग 3, पृ० 803, 835, 837, 849; और भारत का राजपत्र, असाधारण, 1953 भाग 2, अनुभाग 3, पृ० 101, 528, 2269, 3467.

